

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या
15/55/17

प्रवेश तिथि
17-07-2017

निर्णय दिनांक
08-01-2018

- 1- INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD. M-62 & 63, First Floor, Connaught Place,
New Delhi -110001. प्रार्थी

बनाम

1. MR./MRS. RAMA VIMAL HOUSE NO. 829/23 HEERA NAGAR, KHUNDSA ROAD
OPPOSITE D.A.V. PUBLIC SCHOOL, GURGAON, HARYANA
ALSO AT:
MR./MRS. RAMA VIMAL FLAT/UNIT NO.C-208 SECOND FLOOR, TOWER-C
"GENESIS SKY-EON", Situated at VILLAGE NAUGAWAN, FORMING PART OF
HALKA BHIWADI TEHSIL- TIJARA, DIST. ALWAR (RAJ.)-301019
ALSO AT:
MR./MRS. RAMA VIMAL RAMA COSMETICS H.NO. 829/23 HEERA NAGAR
GURGAON HARYANA- 122001
ALSO AT:
MR./MRS. RAMA VIMAL KDR INTERIOR AND DECORATOR HOUSE NO. 829/23
HEERA NAGAR, KHUNDSA ROAD, GURGAON, HARYANA
2. MR./MRS. RAMA VIMAL KDR HOUSE NO. 829/23 HEERA NAGAR, KHUNDSA
ROAD, OPPOSITE D.A.V. PUBLIC SCHOOL, GURGAON, HARYANA
ALSO AT:
MR./MRS. RAMA VIMAL FLAT/UNIT NO.C-208 SECOND FLOOR, TOWER-C
"GENESIS SKY-EON", Situated at VILLAGE NAUGAWAN, FORMING PART OF
HALKA BHIWADI TEHSIL- TIJARA, DIST. ALWAR (RAJ.)-301019
ALSO AT:
MR./MRS. RAMA VIMAL RAMA COSMETICS H.NO. 829/23 HEERA NAGAR
GURGAON HARYANA- 122001
ALSO AT:
MR./MRS. RAMA VIMAL KDR INTERIOR AND DECORATOR HOUSE NO. 829/23
HEERA NAGAR, KHUNDSA ROAD, GURGAON, HARYANA
ALSO AT:
MR./MRS. RAMA VIMAL GENPACT INDIA PVT LTD. PLOT NO. 20 SECTOR 135
NOIDA, UTTAR PRADESH


अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन
अधिनियम, 2002

— निर्णय —

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड
रीकन्सट्रक्शन ऑफ फार्निशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत
किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के
पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति फ्लेट/युनिट नम्बर. सी-208 सेकण्ड फ्लोर,
टॉवर-सी जनेसिस स्काई-ईऑन स्थित गांव नौगांवा हल्का भिवाडी, तहसील तिजारा जिला अलवर
राजस्थान-301019 को रहन रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए
ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा
गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स
घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का
अधिकार प्रार्थी को है।


जिला मजिस्ट्रेट
अलवर

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

- 1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
- 2-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरिटीजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08-01-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया



P. J. Mishra
(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
page 2 of 2